प्रधानमंत्री की 25 वर्ष की जन सेवा पर राजस्थान मंत्रिमंडल ने अभिनंदन किया

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने रिफॉर्म, परफॉर्म व ट्रांसफॉर्म की नई संस्कृति स्थापित की है

जयपुर, 14 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 25 वर्षों की अनवरत जनसेवा के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 7 अक्टूबर को सरकार के मुखिया के रूप में राष्ट्रसेवा का ऐतिहासिक पड़ाव पूरा किया है। इस उपलक्ष्य में राजस्थान मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं को प्रधानसेवक मानकर देश में "रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म" की नई संस्कृति स्थापित की है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति और आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक एवं ऑपरेशन सिंदूर जैसे साहसिक निर्णयों से देश एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अनुभव और विज़न का लाभ राजस्थान की डबल इंजन सरकार को भी मिल रहा है। प्रदेश में 2 हजार 750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे विकसित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश 39.36 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के साथ अग्रणी प्रदेश बन चुका है। इस तरह राजस्थान देश में सौर ऊर्जा में प्रथम एवं अक्षय ऊर्जा स्थापना में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक ली।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा और गौरवपूर्ण उपस्थिति में दिसंबर 2024 में "राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट" हुआ। इसमें 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए, जिनमें से 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने प्रदेश को पचपदरा में देश की पहली एकीकृत ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो फेज-2 और माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना जैसी बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी है।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अनुभव व विज़न का लाभ राजस्थान को मिल रहा है। प्रदेश में 2750 किलोमीटर लंबे 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे तथा जयपुर रिंग रोड का निर्माण केन्द्र सरकार के सहयोग से हो रहा है।**

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन, सहयोग और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा भी उपस्थित थे।

प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए छात्रों के साथ पुलिस ने मारपीट की- राहुल गांधी

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए छात्रों के साथ कथित मारपीट का मुद्दा उठाया है। राहुल ने बुधवार को कुछ प्रदर्शनकारियों को मीडिया के सामने पेश किया, जिन्होंने पुलिस हिरासत में उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किए जाने के आरोप लगाए। राहुल ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को अपने साथ हुई घटनाओं के वीडियो और अन्य साक्ष्य सुरक्षित रखने चाहिए, ताकि मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

- **राहुल गांधी ने कुछ भुक्तभोगी आंदोलकारियों को मीडिया के सामने पेश किया।**

केरल की छात्रा अथिरा ने पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि हिरासत के दौरान बस में महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी के बारे में पूछने पर उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने दावा किया कि कनॉट प्लेस थाने के सामने उन्हें पीटा गया, जिससे उनकी आंख और कान में चोट आई। अथिरा के अनुसार, उनके एक कान से सुनाई देना बंद हो गया है। बांसुरी वादक समर ने भी हिरासत में मारपीट का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पांच अक्टूबर और फिर 11 अक्टूबर को उन्हें हिरासत में लिया गया था। समर के मुताबिक, सादे कपड़ों में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की।

'अमेरिका में रह रही दुष्कर्म पीड़िता को जांच में सहयोग के लिए नोटिस तामील कराएं'

राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2005 में भारत-अमेरिका के बीच लागू पारस्परिक कानूनी सहायता व्यवस्था के तहत नोटिस तामील कराने की प्रक्रिया अपनाई जाए

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 14 अक्टूबर। दुष्कर्म प्रकरण में पीड़िता जब जांच में सहयोग के लिए उपलब्ध नहीं हुई और पुलिस को उसके संबंधियों से मालूम चला कि वह अमेरिका चली गई है। ऐसे में पुलिस जांच आगे कैसे बढ़ाई जाए, इस संदर्भ में बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह व विदेश मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि अमेरिका में रह रही दुष्कर्म पीड़िता का मौजूदा एड्रेस पता लगाकर उसे नोटिस तामील करवाएं। अदालत ने अनुसंधान अधिकारी को कहा है कि वह 21 दिनों में गृह मंत्रालय को पीड़िता के पासपोर्ट की जानकारी सहित पूरी डिटेल्स, समन की दो कॉपी सहित भेजें। अदालत ने पालना रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए आगामी सुनवाई आठ सप्ताह बाद तय की है। जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश मामले में आरोपी बनाए गए चन्द्रभूषण सिंह की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

- **हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में पीड़िता मुख्य गवाह है और उसकी भागीदारी के बिना जांच प्रभावी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए न्यायपूर्ण सुनवाई के लिए पीड़िता को नोटिस या समन की प्रभावी तामील होना जरूरी है।**

इस मामले में पीड़िता ने वर्ष 2022 में एफआईआर दर्ज करायी थी, परंतु पुलिस ने जब प्रकरण की जांच शुरू की तो पीड़िता का कोई अता-पता नहीं लगा। जांच की डायरी जब हाईकोर्ट में अनुसंधान अधिकारी ने पेश की तो उसमें दो तथ्य सामने आये कि, 1 जुलाई 2022 को ही पीड़िता अपने पति के साथ पुलिस स्टेशन आई थी और आवेदन दिया कि मैंने गुस्से में आकर परिवाद किया था, इस प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं की जाए। परंतु जब एक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ने पीड़िता से 24 नवंबर 2022 को फोन पर बात की तो पीड़िता ने कहा कि मामले की जांच बंद करने का आवेदन उसने दबाव में दिया था और वह जांच बंद नहीं करना चाहती। परंतु इन विरोधाभासी बयानों के कारण जांच अधिकारी ने मामले में एफ.आर. लगाने की सिफारिश की थी, परंतु वरिष्ठ अधिकारियों की वजह से मामले में एफ.आर नहीं लगी।

अदालत ने 3 सितंबर 2024 को पीड़िता को नोटिस जारी किया था, लेकिन पिछले दो सालों से नोटिस तामील नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान अनुसंधान अधिकारी ने बताया कि परिवादिया के परिजनों से उसका अमेरिका में रहने का पता चला है, परंतु पूरा पता व संपर्क नंबर ज्ञात नहीं हैं।

वहीं आरोपी के अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि चन्द्रभूषण सिंह के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि, गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है कि वर्ष 2005 में लागू समझौते के तहत वह अमेरिका में समन तामील करवा सकते हैं। जिस पर अदालत ने केन्द्र सरकार को भारत-अमेरिका के बीच लागू पारस्परिक कानूनी सहायता व्यवस्था के तहत नोटिस तामील कराने की प्रक्रिया अपनाने और पीडिता का मौजूदा पता लगाने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में पीडिता मुख्य गवाह है और उसकी भागीदारी के बिना जांच प्रभावी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए न्यायपूर्ण सुनवाई के लिए पीडिता को नोटिस या समन की प्रभावी तामील होना जरूरी है।

अदालती आदेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

साल इसी तरह अभ्यर्थियों को पहली काउंसलिंग में शामिल कर कॉलेज का आवंटन किया जाता है। इसी वर्ग में रजिस्ट्रेशन के बाद भी प्रार्थी का नाम 19 सितंबर की सूची में नहीं था। इसे उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 24 सितंबर को अस्थाई तौर पर याचिकाकर्ता के दस्तावेज सत्यापन कराने व काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता अदालती आदेश की पालना में 26 सितंबर को काउंसलिंग चेयरमैन के समक्ष उपस्थित हुआ, लेकिन फिर भी उसे शामिल नहीं किया, जिसे अवमानना याचिका के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। अवमानना याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश की अवमानना करने वालों को दंडित किया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

हाइजैक अलर्ट के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यात्रियों को सुरक्षित उतारकर टर्मिनल में बैठाया गया। दिल्ली से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की टीम को भी सतर्क रखे जाने की जानकारी सामने आई।

सीआईएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने विमान की जांच की। शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद विमान के रखरखाव से जुड़े इंजीनियरों को भी मौके पर बुलाया गया। शुरुआत में ऐसी जानकारी सामने आई कि पायलट ने गलती से अलर्ट बटन दबा दिया था और कुछ ही सेकंड में संकेत बंद कर दिया गया था। बाद में सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण अलर्ट संदेश जनरेट होने की आशंका है। हालांकि, पायलट ने पूछताछ के दौरान गलती से बटन दबाने की बात से इनकार किया। इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) पूरे मामले की जांच करेगा। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि हाईजैक का संकेत देने वाला 7500 कोड किस वजह से सक्रिय हुआ और इसका संदेश एटीसी तक कैसे पहुंचा। घटना की पुष्टि करते हुए एयर इंडिया ने कुछ घंटे बाद जारी बयान में कहा कि उड़ान को सुरक्षा संबंधी संभावित चिंता के कारण डायवर्ट किया गया था। एयरलाइन के अनुसार, यात्रियों की सुरक्षा जांच की गई और इसके बाद उन्हें दिल्ली के लिए उड़ान जारी रखने हेतु दोबारा विमान में सवार होने की अनुमति दी गई। विमान को दोपहर 2:24 पर नई दिल्ली रवाना कर दिया गया।

शाह ने कांग्रेस पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, जंतर-मंतर को निर्धारित विरोध स्थल सूची से हटाना... पहले वोट की चोरी और फिर "विरोध करने के अधिकार की चोरी"-यह भाजपा की तानाशाही का सबूत है।" उन्होंने आगे कहा, "ज्ञानेश कुमार को बचाना बंद करो!"

खड़गे ने कहा कि सरकार पर सवाल उठाने वालों को जेल में डाला जा रहा है, युवा प्रदर्शनकारियों को पीटा जा रहा है और हिरासत में लिया जा रहा है। महिलाओं को पुलिस की बर्बरता का सामना करना पड़ रहा है, जबकि "आरएसएस के गुंडों" को बिना किसी कार्रवाई के छूट मिली हुई है।

राजनीतिक मामलों के अनुभवी पर्यवेक्षकों का कहना है कि शाह इस समय बेहद मुश्किल स्थिति में हैं। उनके अनुसार, वे चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मैदान छोड़कर पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। इससे सत्ताधारी दल के लिए उन्हें बचाने का रास्ता खुला हुआ है। पर्यवेक्षकों ने कहा कि इससे जनता के बीच बहुत गलत संदेश जा रहा है।

एयर फ्रांस ने इज़रायल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैं। पाकिस्तान सहित, 31 देशों के एयरलाइन क्रू पर एयर फ्रांस के प्रतिबंध के बाद, शिकागो स्थित यूनाइटेड एयरलाइंस ने भी अपने पायलटों और केबिन क्रू को इज़रायल आने-जाने वाली उड़ानों के लिए राष्ट्रीयता आधारित नियमों के बारे में जानकारी दी है। इन प्रतिबंधों ने अंतरराष्ट्रीय विमानन पर पड़ने वाले असर और, क्या अन्य एयरलाइन्स भी इज़रायल के नियमों का पालन करने के लिए ऐसा ही करेंगी, इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

फ्रांस की खोजी समाचार वेबसाइट मीडियापार्ट और विमानन खुफिया कंपनी सीएच-एविएशन की 13 अक्टूबर की रिपोर्टों के अनुसार, दोनों विमानन कंपनियों ने अपने पायलटों और केबिन क्रू को इज़रायल द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की जानकारी दी है। एयर फ्रांस ने पुष्टि की है कि वह इन नियमों का पालन कर रही है, जबकि खबरों के अनुसार, यूनाइटेड एयरलाइंस ने भी इन प्रतिबंधों को अपने चालक दल की ड्यूटी तय करने की प्रक्रिया में शामिल कर लिया है।

चैक गणराज्य की सबसे बड़ी विमानन कंपनी स्मार्टविंग्स ने भी पुष्टि की है कि वह इज़रायल के प्रतिबंधों का पालन करेगी। हालांकि, कंपनी ने कहा कि अब तक उसके चालक दल की ड्यूटी तय करने और उड़ानों के संचालन पर इन प्रतिबंधों का कोई असर नहीं पड़ा है।

वाहनों पर काली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिका के तौर पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सके। अदालत ने कहा कि यह मामला व्यापक जनहित से जुड़ा हुआ है। अदालत ने डेथ रेफरेंस से जुड़े मामले के तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि अपीलार्थियों की ओर से काले रंग की कार में पीड़िता का शव ले जाया गया। जिससे राहगीरों के लिए अंदर देखना असंभव हो गया और आरोपियों को शव को अपराध स्थल से दूर स्थान पर ठिकाने लगाने में सुविधा हुई। अदालत के समक्ष बार एसोसिएशन के सदस्यों ने वाहनों पर काली फिल्म लगाने पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में चार पहिया वाहन काले शीशों अथवा रंगीन शीशों के साथ चलाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के जारी निर्देशों और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के प्रावधानों के खिलाफ है। वकीलों ने विशेष तौर पर निजी एम्बुलेंसों की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि उनमें से अधिकांश में काले रंग के शीशे लगे हुए हैं। इस बारे में पूर्व में प्रकाशित खबरों का भी हवाला दिया, जिसमें कहा था कि काले रंग के शीशों वाली निजी एम्बुलेंसों का उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।

सीजेपी के सौरव दास व आशुतोष रांका न्यायिक हिरासत में

- **पुलिस ने उन्हें 13 अक्टूबर को प्रतिबंधित जंतर मंतर पर पहुँचने व पुलिस के काम में बाधा डालने पर गिरफ्तार किया।**

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के मामले में काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के दो नेताओं को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने सौरव दास और आशुतोष रांका को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

दरअसल, दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे सहित 14 सदस्यों के खिलाफ कनॉट प्लेस और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में अलग-अलग दो एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस के मुताबिक, 13 अक्टूबर को सीजेपी के ये सदस्य प्रतिबंधित जंतर-मंतर पर निजी परिसर के रास्ते पहुंचे और पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डाली। इसके बाद पुलिस ने तीनों नेताओं को हिरासत में लिया था। तीनों को आज सुबह स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसके बाद सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि अजिंक्य शिंदे को छह महीने तक शांति बनाए रखने के लिए 5,000 रुपये के मुचलके पर पाबंद किया गया। दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को आधिकारिक विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया है। इसका मतलब है कि जंतर-मंतर पर कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता।

राहुल गांधी धरने पर बैठे अंकिता भंडारी के परिवार से मिले

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार रात इंडिया गेट पहुंचे और वहां धरने पर बैठे अंकिता भंडारी के परिवार से मुलाकात की। अंकिता के परिवार ने दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाए जाने के भाजपा के फैसले का विरोध किया है।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा पर इस फैसले को लेकर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा कब तक बलात्कारियों के साथ खड़ी रहेगी?

युवा कांग्रेस ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से जंतर-मंतर मार्च निकाला

- **एनएसयूआई ने अपनी महिला कार्यकर्त्ताओं के साथ कथित मारपीट पर एफआईआर की मांग की।**

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। भारतीय युवा कांग्रेस ने बुधवार को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार बहाल करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मार्च निकाला। वहीं, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने अपनी महिला कार्यकर्ताओं के साथ कथित मारपीट के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने बताया कि दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज करने का मौखिक आश्वासन दिया है।

भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में 'जंतर-मंतर वापस लाओ' अभियान के तहत मार्च पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से जंतर-मंतर की ओर निकाला गया। संगठन ने आरोप लगाया कि हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान, दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अन्य नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग किया। उसने इन घटनाओं की निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच कराने तथा जिम्मेदार पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उदय भानु चिब ने कहा कि जंतर-मंतर लोकतांत्रिक विरोध का प्रतीक है और इसे जनता से दूर नहीं किया जाना चाहिए।

वहीं, एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पुलिस की कथित मारपीट के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ने 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज करने का मौखिक आश्वासन दिया।

जाखड़ ने कहा कि महिला कार्यकर्ताओं के साथ कथित मारपीट गंभीर मामला है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि यदि तय समय में प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है, तो वे प्रतिनिधिमंडल के साथ दोबारा थाने पहुंचेंगे। एनएसयूआई ने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

'ब्रिक्स समिट से दूर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हाथ से निकल गया। हसीना ने तर्क दिया कि एक जिम्मेदार सरकार को "देश के लिए दरवाजे खोलने चाहिए, बंद नहीं करने चाहिए।" उन्होंने चेतावनी दी कि व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं या अल्पकालिक राजनीतिक गणनाओं से प्रेरित विदेश नीति का परिणाम स्वाभाविक रूप से नुकसानदेह होता है।

निर्वासन में भारत में रह रहीं हसीना ने संकेत दिया कि भारत में उनकी मौजूदगी ने शायद रहमान के फैसले को प्रभावित किया हो। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा है, तो यह "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण" है। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और तारिक रहमान के पिता, पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान, 1979 में नई दिल्ली आए थे। उस समय हसीना 1975 में अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान और परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या के बाद भारत में रह रही थीं। जियाउर रहमान 1980 में लंदन भी गए थे, जब हसीना वहां थीं। हसीना ने कहा, "किसी भी शहर में मेरी मौजूदगी ने उन्हें वहां आने से नहीं रोका था। तो फिर आज दिल्ली में मेरी मौजूदगी जियाउर रहमान के बेटे तारिक रहमान को भारत आने से क्यों रोके?" विश्लेषकों का कहना है कि सम्मेलन से दूर रहकर रहमान ने तनावपूर्ण संबंधों के बीच एक संभावित असहज बहुपक्षीय स्थिति से बचने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं से सीधे बातचीत करने और भारत के प्रति खुलेपन का संकेत देने का अवसर गंवा दिया। नवंबर में संभावित द्विपक्षीय यात्रा को लेकर चर्चा जारी है, हालांकि ढाका का कहना है कि यात्रा का समय "अनुकूल" होना चाहिए।

इस बीच, बांग्लादेश हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर जोर दे रहा है। वर्ष 2024 में हुई कार्रवाई से जुड़े आरोपों में नवंबर 2025 में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने उनकी अनुपस्थिति में उन्हें मृत्युदंड सुनाया था। भारत ने कहा है कि किसी भी प्रत्यर्पण के लिए एक सुव्यवस्थित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। अभी तक कोई निश्चित समयसीमा तय नहीं की गई है और अनुरोध की जांच जारी है। हसीना ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया है और दिसंबर तक लौटने का संकल्प जताया है।

'तिरंगे के साथ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गिरफ्तार किया गया है। हम सबको तिरंगा लेकर वहां पहुंचना चाहिए और सरकार को यह दिखाना चाहिए की तिरंगा लहराना कोई जुर्म नहीं है। साथ ही उन्होंने आशंका जताई है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

तारानगर में सरपंच बनने की सनक में इकलौते बेटे और बहू की हत्या

विवाद व समझाइश के बाद घर जा रहे पुत्र-पुत्रवधु को रामचन्द्र ने बोलेरो गाड़ी से कुचल कर मार दिया

तारानगर, 14 अक्टूबर। तहसील क्षेत्र में पहली बार ग्राम पंचायत बने चंगोई गांव में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां गत रात्रि को सरपंच बनने की सनक में एक पिता ने विवाद के बाद अपने इकलौते बेटे व बहू को गाड़ी से कुचलकर मार डाला। गांव में हुए इस दोहरे हत्याकांड की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया।

हत्याकांड के आरोपी पिता को गांव से हिरासत में लेकर घटना में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी को जब्त कर लिया गया। वारदात की सूचना पर राजगढ़ एएसपी रिछपाल चारण, डीएसपी रोहित सांखला, एसएचओ पुष्पेन्द्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना किया। साथ ही चूरू से एफएसएल टीम भी पहुंची।

- **प्राप्त जानकारी के अनुसार, रामचन्द्र सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता था। उसका पुत्र उन्हें मना कर रहा था। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने लड़ाई-झगड़ा शुरु किया। समझा बुझाकर पुत्र व पुत्रवधु देर रात घर पैदल वापस जा रहे थे, जब आरोपी ने पीछे से गाड़ी से उन्हें कुचल दिया।**

डीएसपी रोहित सांखला ने बताया कि रात को गांव में किसी वाहन की टक्कर से दो जनों की मौत की सूचना मिली। वे मय जाब्ते के घटना स्थल पर पहुंचे, तो दो जनों के शव पड़े थे। गहनता से जांच करने व सीसीटीवी देखने पर पता चला कि घटना को अंजाम देने वाला मृतक युवक रवीन्द्र का पिता रामचन्द्र था। घटना से थोड़ी देर पहले गांव में स्थित खुद के धर्मकांटे पर पिता-पुत्र में चुनाव लड़ने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें आरोपी सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता था और पुत्र उसे मना कर रहा था। विवाद बढ़ने पर मृतक रवीन्द्र की पत्नी महेन्द्रा भी मौके पर पहुंची और आरोपी को समझा बुझाकर बेटे-बहू वापिस घर जा रहे थे। उसी दौरान रात्रि 12:45 बजे आरोपी रामचंद्र पीछे से बोलेरो गाड़ी लेकर आया और दोनों को कुचल दिया, जिससे बेटे व बहू की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने घटना को लेकर मामला दर्ज कर आगे की करवाई शुरू कर दी है। मृतक रवीन्द्र के ससुर ने मामला दर्ज कराया है। एसएचओ पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि शिशराम पुत्र दुलाराम जाट निवासी मैलूसर पीएस भालेरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री महन्द्रा का विवाह करीब 15 वर्ष पूर्व रवाद्र पुत्र रामचन्द्र जाट निवासी चंगोई के साथ हुआ था, जिनके एक पुत्री मितारिका (11) है। मृतक रवीन्द्र के ससुर ने बताया कि 13 व14 अक्टूबर की रात्रि एक बजे के लगभग दोनों बाप-बेटे अपने धर्मकांटे पर बैठे थे और चुनाव लड़ने की बात को लेकर आपस में विवाद हो गया। उनकी बेटी महेन्द्रा अपने पति रवीन्द्र को समझा बुझाकर घर ला रही थी, उसी दौरान आरोपी पीछे से गाड़ी लेकर आए और दोनों को गाड़ी से कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस दौरान मृतक दंपति की 11 वर्षीय बेटी मितारिका भी मौके पर मौजूद थी। मीतारिका अपनी माँ के पीछे-पीछे जा रही थी, जब वह यादव धर्मकांटे के पास पहुंची तो उसने उक्त सारी घटना अपनी आँखो से देखी।

'अमेरिका में मोदी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि एक अमेरिकी सार्वजनिक हस्ती का भारत के विरोध प्रदर्शन से जुड़े आंदोलन पर टिप्पणी करना राजनीतिक रूप से क्या मायने रखता है। हालांकि, इससे फंडिंग को लेकर उठे सवाल का अपने आप समाधान नहीं हुआ।

अब यह विवाद एक-दूसरे के खिलाफ राजनीतिक दावों के बजाय, सबूतों पर टिका है। दानदाताओं की पहचान, बैंक रिकॉर्ड, दान की रसीदें, ऑडिट किए गए खाते या भरोसेमंद जांच के नतीजे यह पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि पैसा विदेश से आया था या नहीं और क्या वह संगठन तक पहुंचा था। नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसका फैसला दान की प्रकृति, संगठन के कानूनी स्टेटस और उस पर लागू होने वाले नियमों पर निर्भर करेगा।

सीजेपी से आगे भी इस मुद्दे के व्यापक मायने हैं। विदेशी फंडिंग के आरोप राजनीतिक विरोध के बारे में लोगों की सोच को प्रभावित कर सकते हैं। जबकि, बिना पुष्टि किए गए आरोप घरेलू विरोध को बाहरी दखलंदाजी से जोड़कर उनकी निष्पक्ष जांच को कमजोर कर सकते हैं। दूसरी ओर, बिना बताई गई फंडिंग के पक्के सबूत मिलने पर पारदर्शी जांच होनी चाहिए, चाहे इसमें शामिल लोगों की राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो।

फिलहाल, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सबूतों की समीक्षा के आधार पर यह दावा साबित नहीं हुआ है कि अमेरिकी दानदाता दीपके की सीजेपी को पैसा दे रहे हैं। इस आरोप ने राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता आखिरकार इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या पैसों के लेन-देन से जुड़े ठोस और जांचे जा सकने वाले सबूत सामने आते हैं।

नीला ड्रम हत्याकांड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पहले उनकी दिनचर्या और अपने पक्ष में कुछ कहने की इजाजत दी, लेकिन दोनों ने कहा कि वे कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं।

हालांकि मुस्कान ने अपनी बेटी से मिलने की गुजारिश न्यायालय से की। बचाव पक्ष की अधिवक्ता रेखा जैन ने बच्चियों के भविष्य और पालन-पोषण का हवाला देते हुए अदालत से कम सजा देने की अपील की। लंच के बाद कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और दलीलों और बयान के आधार पर दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031-32,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालौर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422-23, जालौर। फैक्स: 02973-226424, हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908